

Form-III
फर्द अहकाम

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी, जिला बांसवाडा

श्री अरुण कुमार पिता त्रम्बकलाल
जाति ब्राह्मण वगैरह निवासी जौलाना
तहसील अरथूना जिला बांसवाडा

बनाम

श्री रमणलाल पिता मंगजी जाति
पाटीदार वगैरह निवासी जौलाना
तहसील अरथूना जिला बांसवाडा

किरम मुकदमा:- अन्तर्गत 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

प्रकरण संख्या: 115/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय ईनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।
30.12.2024	<p>पत्रावली बाद जांच दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वादीगण श्री अरुण कुमार पिता त्रम्बकलाल जाति ब्राह्मण वगैरह निवासी जौलाना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा द्वारा प्रतिवादीगण श्री रमणलाल पिता मंगजी जाति पाटीदार वगैरह निवासी जौलाना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 21.1.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी गढ़ी</p>	
21.1.25	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगण के नाम जारी सम्मन बाद तामिल प्राप्त। प्रतिवादीगण द्वारा पत्रावली-पत्र पेश कर वकालतनामा पेश करने हेतु समय चाह। पं० साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त। पत्रावली वरुते अतिरिक्त कार्यवाही दिनांक 18.2.25 को पेश हो।</p>	
18.2.25	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वरुते प्रतिवादीगण की उपस्थिति व वकालतनामा पेश होने दिनांक 19.2.25 को पेश हो।</p>	
19.2.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके अभिभाषक उपस्थित। वादी अभिभाषक द्वारा प्रकरण में कार्यवाही नहीं चाहने का निवेदन करते हुए। प्रकरण Not Press</p>	<p>Note प्रकरण रमणलाल Id. अभिभाषक</p>

क्रिया गया। निहाय प्रकरण में कार्यवाही
इसी स्टेज पर ड्रॉप की जा कर पत्रावली
फैसन शुमार कर वाचिंग के दफतर से।

उपरवण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बॉसवाड़ा